महत्वपूर्ण एवं खास

छोटे ने बड़े भाई की हत्या कर सड़क किनारे पर फेंका शव

रायपुर (आरएनएस)। खरोरा थाना क्षेत्र में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने हत्यारे छोटे भाई को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर शव को 2 दिनों तक खेत के पैरा में छुपा रखा था। बदबू आने पर आरोपी ने सडक़ किनारे मृतक का शव फेंक दिया। बताया जा रहा हैं कि बड़े भाई द्वारा छोटे भाई की पत्नी से मारपीट करने को लेकर विवाद चल रहा था। मृतक महावीर बंजारे 30 वर्ष ग्राम बाना का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी दास बंजारे 24 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेगी।

बस और कोयले से भरी ट्रेलर से भिड़ंत, चालक की मौत

बिलासपुर (आरएनएस)। शहर से सटे सेंदरी मोड़ के पास बस और कोयले से भरे ट्रेलर में आमने सामने से टक्कर हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रात करीब 2:30 दीपका की ओर से कोयला भरकर आ रही ट्रेलर क्रमांक सीजी 10 क्र 2135 की बिलासपुर से कोरबा की ओर जा रही बस क्रमांक यूपी 63 बीटी 0051 से टक्कर हो गई। दोनों ही वाहन अत्यधिक तेज गति से चल रहे थे। टक्कर इतनी भयानक थी कि इससे ट्रेलर मौके पर पलट गयी और ट्रेलर चालक औरंगाबाद बिहार निवासी मुकेश सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। वही इस हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों को भी चोट पहुंची, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से सिम्स लाया गया। सूचना पाकर कोनी पुलिस रात में ही मौके पर पहुंच गई थी।

बिजली खंबे से टकराकर मोटरसाइकिल सवार खाई में गिरा, हो गई मौत

कवर्धा (आरएनएस) वनांचल छेत्र कुकदूर थाना क्षेत्र के भाकुर गांव में सडक़ हादसे में युवक की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि जंगल में एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली खंबे से टकरा गया. जिसके बाद युवक खाई में गिर गया. इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही कुकदूर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने युवक के शव को ग्रामीणों की मदद से खाई से निकाल लिया है. शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. मामले की जांच जारी है. मृतक होटल कर्मचारी युवक बालमुकुंद साहू होटल में काम करता है और शनिवार सुबह किसी काम से सारपानी गांव गया हुआ था. वहां से वापस लौटने के दौरान भाकुर गांव के पास तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंबे से टकरा गई. जिससे युवक की खाई मे गिर कर मौके पर ही मौत हो गई है. शव की पहचान बालमुकुंद साहू उम्र 35 साल के रूप में हुई है.।

121 संक्रमित मरीजों के साथ प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 752

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ मेंकोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है. पॉजिटिविटी दर 1.75 प्रतिशत है. प्रदेश में हुए 6898 सैंपलों की जांच में 18 जिलों में 121 कोरोना संक्रमित मिले. एक की मौत कोरोना से हुई. प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीज की संख्या 752 है. सबसे ज्यादा एक्टिव मरीज 113 रायपुर में है. दुर्ग में 105, राजनांदगांव में 60 एक्टिव मरीज है. शुक्रवार को सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज 38 रायपुर में मिले. दुर्ग में 12, बालोद में 11 कोरोना मरीज मिले।

प्रदेश के नागरिकों को मिली बड़ी राहत : अब आसानी से अनधिकृत निर्माण कार्यों को करा सकेंगे नियमित

- मुख्यमंत्री के निर्देश पर नियमों को किया गया शिथिल
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में हुआ संशोधन
- नगरीय निकाय सीमा के भीतर नगर निगम, नगर पालिका तथा सीमा के बाहर निवेश क्षेत्र के भीतर नगर निवेश कार्यालय में किए जा सकेंगे आवेदन
- नए नियम में पार्किंग के लिए कड़े प्रावधान: पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अन्य निर्माण को हतोत्साहित करना तथा पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है
- आमजन को इस संशोधन का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने कलेक्टर करेंगे नियमित समीक्षा

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने और सरलीकरण करने के निर्देश दिए है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है। संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब नये नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे।

नगर निगम सीमा के भीतर नगर निगम तथा नगर पालिकाओं में तथा निगम, पालिका के सीमा के बाहर तथा निवेश क्षेत्र के अंदर नगर निवेश विभाग के कार्यालय में आवेदन जमा होंगे। आवेदक को आवेदन के साथ मकान के कागजात, मकान के फोटोग्रॉफ्स आर्किटेक्ट द्वारा बनाए गए मकान का नक्शा और सम्पत्ति कर या बिजली बिल की रशीद की कॉपी संलग्न करनी होगी।

इस अधिनियम में किए गए नए संशोधन के अनुसार निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आए हुए आवेदनों के निराकरण के लिए जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ऐसे ग्राम/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो नगरीय निकाय सीमा के बाहर आता है। वहां आवेदन नगर या ग्राम निवेश विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिए जाएंगे। सत्यापन परीक्षण के पश्चात इन आवेदनों को नियमितिकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होगी। इसी तरह नगर-निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जो निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आते है। इन जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा आवेदन लिए जाएंगे और जिला नियमितिकरण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिनियम में संशोधन के बेहतर क्रियान्वयन और आमजन को इस संशोधन का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए कलेक्टर, नगरीय निकाय अधिकारी, नगर एवं ग्राम निवेश अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाएगी।

गौरतलब है कि शहरों की बढ़ती आबादी, वाहनों की बढ़ती संख्या और यातायात की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए राज्य शासन ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 में संशोधन करते हुए अब कड़े प्रावधान किए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य पार्किंग के लिए निर्धारित स्थलों पर अन्य निर्माण को हतोत्साहित करना तथा पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखना है। अधिनियम में यह संशोधन छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक 2022 के अनुसार किए गए हैं। इस संशोधन के जरिये अपीलार्थियों को राहत भी दी गई है। उन्हें अपील लंबित रहने की अवधि में अब अधिकतम एक वर्ष का ही भाड़ा देना होगा, जबकि पूर्व में उन्हें नियमित भाड़ा देना होता था।

अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यदि अधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग हेतु आरक्षित भू-खण्ड/स्थल पर किया गया है, तो नियमितिकरण की अनुमति तभी दी जाएगी जब आवेदन द्वारा पार्किंग की कमी हेतु निर्धारित अतिरिक्त शास्ति राशि का भुगतान कर दिया गया हो।

जारी अधिसूचना के अनुसार विधेयक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 के मूल अधिनियम की धारा 04 की उपधारा (2) के खण्ड (पांच) को प्रतिस्थापित करके नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का जिले का प्रभारी अधिकारी/संयुक्त संचालक/उपसंचालक/सहायक संचालक किया गया है। अधिनियम के खण्ड(चार) (क) में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाईड लाईन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति लगाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियम में कहा गया है कि 01 जनवरी 2011 के पूर्व अस्तित्व में आये ऐसे अनाधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनाधिकृत भवन, जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये, 50 प्रतिशत से अधिक एवं 100 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु दो लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार 01 जनवरी 2011 अथवा उसके पश्चात् अस्तित्व में आये ऐसे अनधिकृत विकास/निर्माण, जिनकी भवन अनुज्ञा/विकास अनुज्ञा स्वीकृति हो, अथवा ऐसे अनधिकृत भवन, जिनके लिए संबंधित स्थानीय निकाय में शासन द्वारा निर्धारित दर से संपत्ति कर का भुगतान किया जा रहा हो, ऐसे भवनों में, यदि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 अथवा संबंधित नगर के विकास योजना के अनुरूप पार्किंग उपलब्ध नहीं है, तो पार्किंग हेतु अतिरिक्त शास्ति राशि दिये जाने पर, भवन का नियमितिकरण इस प्रकार किया जा सकेगा कि पार्किंग में 25 प्रतिशत तक कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान हेतु पचास हजार रूपये, 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक प्रत्येक कार स्थान हेतु एक लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। खण्ड (चार) में कहा गया है कि शमन योग्य पार्किंग की गणना इस प्रकार की जायेगी कि 500 वर्ग मीटर तक आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी। गैर आवासीय क्षेत्र में पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर निरंक होगी जबकि 500 से अधिक क्षेत्र होने पर पार्किंग हेतु उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्रफल प्रति कार स्थान (ईसीएस) के आधार पर 50 प्रतिशत होगी।

प्रावधान में कहा गया है कि (ग) ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली सामाजिक संस्थायें, जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 (पचास) प्रतिशत की दर से देय होगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 39 में निर्धारित प्रावधान के अनुसार, मार्ग की चौड़ाई उपलब्ध नहीं होने के कारण, स्थल पर विद्यमान गतिविधियों में किसी प्रकार का लोकहित प्रभावित न होने की स्थिति में, नियश्रीमतीकरण किया जा सकेगा।

घर घुसकर महिला से छेड़खानी आरोपी गिरफ्तार, कापू थानाक्षेत्र की घटना

रायगढ़। दिनांक 10.09.2022 को थाना प्रभारी कापू निरीक्षक अनुरंजन लकड़ा द्वारा महिला के घर घुसकर छेड़खानी, धक्का-मुक्की करने वाले आरोपी राकेश कुमार (उम्र 32 साल) को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पीड़ित महिला कल दिनांक 09.09.2022 को थाना कापू आकर थाना प्रभारी के समक्ष रिपोर्ट दर्ज कर बतायी कि जब वह सुबह करीब 10-11 बजे नहाने के लिए जाने के लिए कमरे में अपने कपड़े समेट रही थी। उसी समय अकेली पाकर राकेश कुमार अचानक घर घुस आया और अंदर से दरवाजा को बंद कर पास आकर पकड़ा और धक्का-मुक्की कर छेड़खानी करने लगा बीच बचाव में महिला के चेहरे, गले में खरोंच आया है। पीड़ित महिला के रिपोर्ट पर थाना प्रभारी द्वारा अप.क्र. 104/2022 धारा 354,354 (क),354 (ख),452,323 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर हमराह स्टाफ सहायक उप निरीक्षक बृजकिशोर गिरी, आरक्षक विजयनंद राठिया, दिलीप लकड़ा और अरविंद लकड़ा के साथ आरोपी की गिरफ्तारी के लिये रवाना हुये और गांव में घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया जिसे गिरफ्तार कर धरमजयगढ़ न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 10.09.2022 को धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका से छेड़खानी कर गिरफ्तारी के डर से फरार हुये आरोपी को उसके गांव के बाहर मुखबिर सूचना पर धर दबोचा गया।

पीड़ित बालिका के पिता द्वारा दिनांक 07.09.2022 को उसकी बेटी के साथ धनेश चौहान (38 साल) द्वारा छेड़खानी करने का आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया, रिपोर्ट पर अप.क्र. 177/2022 धारा 457,354 IPC 8 Pocso Act दर्ज कर विवेचना में लिया गया। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 05.09.2022 की रात घर परिवार के लोग खाना खाकर अपने-अपने कमरे में सोये थे। लड़की अपनी सहेली के साथ बगल कमरे में सोयी थी, उस कमरे का दरवाजे का कुंडी नहीं लगा था। रात्रि करीब 11.45 बजे लड़कियों के कमरे से चिल्लाने की आवाज सुनकर जाकर देखे तो लड़की रोते हुये बताई कि धनेश चौहान आकर बिस्तर में सो गया था और गंदी नियत से छेड़खानी किया, चिल्लाने पर भागा है। इधर थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद धनेश गिरफ्तारी से बचने भाग गया था। कल शाम थाना प्रभारी धरमजयगढ़ उप निरीक्षक नंदलाल पैंकरा को मुखबिर से सूचना मिली कि धनेश को उसके गांव के आसपास देखा गया है तो थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ धनेश चौहान के गांव दबिश देकर उसे हिरासत में लेकर थाने लाये। आरोपी धनेश चौहान (38 साल) को आज गृहभेदन, छेड़खानी एवं पाक्सो एक्ट के धाराओं में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

कोतवाली, जूटमिल और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने पुसौर थाना क्षेत्र में की बड़ी जुआ रेड : 308500 रु. कैश, 7 मोबाइल व एक कार जब्त

- रायगढ़ और जांजगीर जिले के 7 जुआरीयान गिरफ्तार

रायगढ। दिनांक 09.09.2022 के रात करीब 10:00 बजे रायगढ़ एसपी अभिषेक मीणा को सूचना मिली की पुसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुर्री एफसीआई गोदाम के सामने जांजगीर व रायगढ़ शहर के कुछ युवक 52 पत्ती ताश से जुआ खेलने बैठे हैं। सूचना पर कार्यवाही के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर एवं चौकी प्रभारी जूटमिल/ प्रभारी साइबर सेल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल को अपने स्टाफ की टीम बनाकर तत्काल जुआ रेड का निर्देश दिए। एसपी रायगढ़ द्वारा गठित टीम द्वारा सुनियोजित तरीके से जुआ फड की घेराबंदी कर मौके पर 7 जुआरीयान को पकड़ा गया, जिनके फड एवं पास से रु.3,08,500 नगद 7 मोबाइल (आईफोन, वीवो, ओप्पो, रेडमी,इंफिनिक्स) तथा जुआ फड के पास खड़ी वर्ना कार सीजी 11-ए.एक्स. 5309 की जब्ती कर थाना पुसौर को सूचना दिया गया। जुआरियों पर थाना पुसौर में 13 जुआ एक्ट की कार्यवाही किया गया है। जुआ रेड की कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, चौकी प्रभारी जूटमिल उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल, साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक धनुर्जय चंद बेहरा, उत्तम सारथी, पुष्पेंद्र जाटवर, मनोज

पटनायक, विनय तिवारी, बनारसी सिदार, राजू राम भगत, ओश्रिक विश्वाल, विनोज एक्का, रंजीत भगत शामिल थे। पकड़े गए जुआरियान अधिकतर जांजगीर-चांपा व रायगढ़ शहर के रहने वाले हैं।

जुआ फड पर पकड़े गए जुआरियान-

01. आशु अग्रवाल पिता घनश्याम दास अग्रवाल उम्र 24 वर्ष साकिन राम निवास टाकिज के पास रायगढ़

02. गुनी राम साहू पिता रामफल साहू उम्र 45 वर्ष साकिन पिसौद थाना जांजगीर

03. पिताम्बर साहू पिता रामभजन साहू उम्र 34 वर्ष साकिन किरोडीमल नगर वार्ड क्र0 07 गणेश चौक रायगढ

04. मोनू कुमार पिता जीवन लाल उम्र 31 वर्ष सा0 अमौदा थाना नवागढ जिला जांजगीर

05. कमलेश साहू पिता मनहरण साहू उम्र 28 वर्ष सा0 भैसदा थाना जिला जांजगीर

06. तुषार सिंह पिता किशोर सिंह उम्र 30 वर्ष सा0 पेड्रीभांठा वार्ड क्र010 जांजगीर

07. फागुलाल नायक पिता खुशीराम नायक उम्र 52 वर्ष सा0 सुर्री थाना पुसौर

वेब सीरीज आर या पार में चित्रकोट व आस-पास फिल्माये अंश को दिखाया गया

जगदलपुर (आरएनएस)। बस्तर जिले के जलप्रपात चित्रकोट एवं उसके आस-पास हुई डिज्नी हॉटस्टार की वेब सीरीज आर या पार की शूटिंग विगत तीन माह पूर्व बस्तर हुई थी। आज उस वेब सीरीज के ट्रेलर का विडियो डिज्नी हॉटस्टार के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें चित्रकोट जलप्रपात एवं उसके आस-पास फिल्माये गये वेब सीरीज के अंश को दिखाया गया है। बस्तर के लिए यह बहुत ही गौरव का विषय है कि वेब सीरीज और फिल्मों के माध्यम से बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य को देश-विदेश में वेब सीरीज के माध्यम से प्रसारित होने से बस्तर के पर्यटन को इसका सीधा लाभ होगा।

पितरों की सेवा करने से संतान का होता है भला

रायपुर (आरएनएस)। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भादों पूर्णिमा से 15 दिनों तक पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आश्विन मास में परिवारों के मृत पूर्वज/पितर संतानों के पास धरती पर आशीर्वाद देने आते हैं। शास्त्रानुसार पितरों का तर्पण करने से जहां परिवार का कल्याण होता है वहीं पिंडदान के लिए निर्मित सामाग्री एवं नदियों तालाबों में दिये गये तर्पण से पितर प्रसन्न होते हैं। अपने पितरों के प्रति श्रद्धाभाव भक्तिभाव प्रकट करने के लिए आज से प्रारंभ हो रहे पितृपक्ष के प्रथम दिन शहर के नदी तालाबों में अपने पूर्वजों को जल तर्पण करने/पिंडदान करने के लिए लोग बड़ी संख्या में सुबह दिखाई दिये। मिली जानकारी के अनुसार 15 दिनों तक तिथिवार घरों में तालाबों एवं नदियों में सुबह सुबह घाटों पर पहुंचकर पितरों के निमित पिंडदान तर्पण का सिलसिला पितृमोक्ष अमावस्या तक जारी रहेगा। ब्राम्हणों को भोजन एवं दक्षिणा देकर लोग अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महामाया मंदिर के पं. मनोज शुक्ला द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पितरों का ऋण उतारने का पितृपक्ष सर्वोत्तम समय है। विधिविधान से पूजा करने पर पितरों की आत्मा संतुष्ठ होकर अपनी वंशजों को आशीर्वाद देती है। गाय, कुत्तों एवं कौएं को भोजन कराने से पितरों की आत्मा संतुष्ठ होती है। ऐसी अज्ञात आत्माएं जिनके बारे में विधिविधान से मृत कर्म होने की जानकारी नहीं है अथवा ज्ञात अज्ञात आत्माओं की संतुष्ठि के लिए एवं आशीर्वाद पाने के लिए 25 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या के दिन विशेष श्राद किये जाने पर उनका आशीर्वाद भी परिजनों को प्राप्त होता है।

भेंट-मुलाकात की तैयारियों के निरीक्षण में कलेक्टर रानू साहू एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा पहुंचे खरसिया एवं धरमजयगढ़

- कार्यक्रम की तैयारियों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के द्वितीय चरण में रायगढ़ जिले के विधानसभा खरसिया, धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा आयेंगे। मुख्यमंत्री बघेल के इन विधानसभाओं में प्रस्तावित आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा लेने आज कलेक्टर रानू साहू एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा खरसिया एवं धरमजयगढ़ निरीक्षण में पहुंचे। सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत भी इस दौरान उपस्थित रहे। यहां कलेक्टर साहू ने प्रस्तावित कार्यक्रमों के अनुसार अधिकारियों से तैयारियों का जायजा लिया तथा महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश भी दिए।

कलेक्टर साहू निरीक्षण के दौरान आज दोपहर सर्वप्रथम नंदेली हेलीपैड पहुंची एवं चपले सभा स्थल का भी मुआयना किया। उन्होंने हेलीपेड एवं भेंट-मुलाकात सभा स्थल, मंच की तैयारियों के संबंध में निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कार्यक्रम के रूट-चार्ट के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही कलेक्टर साहू जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम के साथ छाल एवं धरमजयगढ़ पहुंची और वहां भी उन्होंने मुख्यमंत्री बघेल के हेलीपैड में आगमन के लिए चिन्हांकित जगह एवं भेंट-मुलाकात स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही वहां उन्होंने प्रस्तावित मूर्ति अनावरण स्थल को भी देखा। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े अन्य बिन्दुओं के आधार पर तैयारियां करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान ट्रेफिक तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान एसडीएम धरमजयगढ़ राजीव पाण्डेय, एसडीएम खरसिया अभिषेक गुप्ता, सीएमएचओ डॉ.एस. एन.केशरी, डीईओ आर.पी.आदित्य, ईई पीडब्लूडी खाम्बरा, उप संचालक पशुपालन डॉ.आर.एच.पाण्डेय, ईई पीएचई परीक्षित चौधरी, प्रभारी उप संचालक कृषि हरिश राठौर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480